राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 2(1)कार्मिक/क–2/अ.प्र./91 जयपुर, दिनांकः 31-03-2015

समस्त अति0 मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

परिपत्र

विषयः–राजकीय सेवा में अनुभव की गणना के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में उक्त विषय में जारी परिपत्र संख्या प. 2(1)कार्मिक/क–2/अ.प्र./91 दिनांक 04.06.2008 के भाग–1 के बिन्दु संख्या–15 में संशोधन करते हुए बिन्दु संख्या–15.1क और जोड़ा जाता है :–

15.1.क –

"जिन राजसेवकों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा एक अप्रैल की स्थिति में उपलब्ध स्पष्ट रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है, के अनुभव अवधि की गणना पदोन्नति वर्ष की एक अप्रैल से की जायेगी और उसके बाद अर्थात् एक अप्रैल पश्चात् उपलब्ध होने वाली रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत राजसेवकों के अनुभव अवधि की गणना पूर्वानुसार ही अर्थात् 15.1 के अनुसार (निम्न पद पर नियमित नियुक्ति के बाद के एक अप्रैल से पदोन्नति वर्ष के एक अप्रैल तक) की जायेगी।"

यह संशोधन दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी होगा। इस संशोधन के आधार पर पूर्व में निस्तारित प्रकरणो को पुनः नहीं खोला जायेगा तथा यदि पूर्व वर्षो की विभागीय पदोन्नति समिति/रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति इस परिपत्र के जारी होने के बाद आयोजित होती है, तो उसमें भी पूर्व की व्यवस्था ही लागू होगी।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों एवं नियुक्ति प्राधिकारियों से अनुरोध है कि सेवा संवर्ग के पदों हेतु डीपीसी वर्ष 2015–16 एवं उसके आगे के वर्षो की होने वाली पदोन्नतियों में उक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे।

31/3/15
(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर/जोधपुर।

(ओ.पी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

10/2015

Modi ji//2015/Notification/Circular/1